

दैनिक

# न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कटाएँ।

RNI NO N- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 16 जुलाई 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-284

## महत्वपूर्ण एवं खास



### केशवपुरम में जूते बनाने की फैक्टरी में आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर तत्काल दमकल विभाग की 22 गाड़ियां रवाना की गईं। लॉरेंस रोड पर फैक्ट्री का स्टोरेज है। जहां अचानक आग लग गई। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक केशवपुरम में रबर शूज बनाने की फैक्ट्री है, जिसके स्टोरेज में आग लगी है। रबर का स्टोरेज होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई और उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। घटना को देखते हुए हाल ही में तीन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई हैं। लिहाजा 25 गाड़ियों से आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद हो रही है।

### कनाडाई नागरिक से टैक्स की चालक ने की लूट

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में कनाडाई नागरिक से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैक्स लेने वाले कनाडाई नागरिक को टैक्स चालक ने पहले टैक्स में बिठाया। इसके बाद उसका क्रेडिट कार्ड और पैसा छीनकर भाग गया। डीसीपी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अनुसार घटना 13 जुलाई की है। जब कनाडाई नागरिक ने टैक्स ली और उसे लूट लिया गया। पुलिस आरोपी झड़वर की तलाश कर रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा रहे हैं ताकि झड़वर की पहचान हो सके।

### चेक गणराज्य में कार-ट्रेन की भीड़ में 4 की मौत

प्राग। चेक गणराज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित एक छोटे गांव में रविवार दोपहर को कार और ट्रेन की भीड़ में चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रैड्क रैलवे क्षेत्र के सेर्नोजाइस गांव में लाइट के साथ लेकिन बिना गेट की रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कार टकरा गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में व्यक्ति (47), एक महिला (32) और आठ व पांच साल के उनके बच्चे हैं। ट्रेन में लगभग 80 यात्री थे, उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई है। हादसे से रेलमार्ग पर परिचालन कई घंटों तक रूका रहा। इस सप्ताह देश में समतल रेलवे क्रॉसिंग पर यह दूसरी भीषण दुर्घटना है। इससे पहले शनिवार दोपहर को देश के पश्चिमी हिस्से में एक वैन और ट्रेन की भीड़ में एक की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

### तुर्की में बस हादसे में 5 की मौत

अंकारा। तुर्की के उत्तर-पूर्वी प्रांत गिरिसन में रविवार को एक मिनीबस पलट गई जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, कराओवासिक हाईलैंड से रवाना हुई यात्री मिनी बस एस्पिये जिले में एरिसेक गांव में सड़क से पलट कर एक नाले में गिर गई। पुलिस दल और स्थानीय आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मी लापता हुए एक बच्चे को खोजने के लिए क्षेत्र में तलाशी कर रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

## विशेष जज ने सुनवाई पूरी करने न्यायालय से छह महीने का मांगा समय

नईदिल्ली (आरएनएस)। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई सीबीआई जज एसके यादव कर रहे हैं। जज एसके यादव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। बाबरी विध्वंस केस में चल रहे मुकदमे के जज के रिटायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि वह 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए। दरअसल सीबीआई जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।

इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह नियम देखकर बताएं कि किस प्रावधान के तहत सेशन जज की रिटायरमेंट की तय सीमा को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा।

### बाबरी विध्वंस कांड



दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर 1992 के राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपराधिक साजिश के गंभीर आरोप में मुकदमा चलेगा और रोजना

सुनवाई करके इसकी कार्यवाही दो साल के भीतर 19 अप्रैल 2019 तक पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली और लखनऊ की अदालत में लंबित इन दोनों मुकदमों को मिलाने और लखनऊ में ही इस पर सुनवाई का आदेश दिया था। आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित 13 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अपराधिक साजिश के आरोप हटा दिए गए थे, लेकिन हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने भाजपा नेताओं सहित 21 आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोप हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। इन 21 आरोपियों में से आठ की मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में आठ

व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था, परंतु विध्वंस की योजना बनाने के आरोप से मुक्त किए गए 13 व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा नहीं किया गया था। आडवाणी, जोशी और भारती के साथ ही कल्याण सिंह (अब राजस्थान के राज्यपाल), शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और बिहिपु नेता आचार्य गिरिराज किशोर (दोनों दिवंगत) के खिलाफ साजिश के आरोप हटायें गये थे। अन्य नेताओं में विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, अशोक सिंघल (अब दिवंगत), साध्वी ऋद्धारा, महंत अवैद्यनाथ (अब दिवंगत), आर वी वेदांती, परमहंस रामचंद्र दास (अब दिवंगत),

जगदीश मुनि महाराज, बैकुण्ठ लाल शर्मा प्रेम, नृत्य गोपाल दास (अब दिवंगत), धरम दास, सतीश नागर और मोरेश्वर सावे (अब दिवंगत) शामिल थे जिनके खिलाफ साजिश के आरोप खत्म कर दिये गये थे। इन अपीलों में भाजपा और दूसरे नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी हटाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2010 का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश बरकरार रखते हुये कहा था कि जांच ब्यूरो ने रायबरेली में सुनवाई के दौरान और पुनरीक्षण याचिका के समय कभी भी यह नहीं कहा था कि इन नेताओं के खिलाफ अपराधिक साजिश का आरोप था।

## ब्रेथ टेस्ट में फेल हुआ एयर इंडिया का पायलट, सस्पेंड

नईदिल्ली (आरएनएस)। एयर इंडिया का एक पायलट प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद उसे तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पायलट ने दिल्ली से बंगलुरु जा रही फ्लाइट के कॉकपिट में प्रवेश करने का प्रयास किया था। रिपोर्ट के अनुसार पायलट को अतिरिक्त कर्षु मेबर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन ब्रेथ टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद विमान को लैंड करना पड़ा। एयरलाइन ने पिछले महीने सिडनी एयरपोर्ट पर दुकान में चोरी के लिए अपने इंस्ट्रुमेंट रीजन के रीजनल

डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। कैप्टन रोहित भसीन 22 जून को सिडनी से दिल्ली आने वाली एआई301 फ्लाइट के पायलटों में शामिल थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलियन रीजनल मैनेजर की शिकायत पर सस्पेंड कर दिया गया। एयरलाइन ने सस्पेंशन ऑर्डर में कहा कि ऑस्ट्रेलियन रीजनल मैनेजर द्वारा यह बताया गया है कि आपने 23 जून को सिडनी हवाई अड्डे से उड़ान से पहले ड्यूटी फ्री दुकान से चोरी की थी।

## गायों की मौत पर सीएम योगी हुए सख्त, 8 निर्लंबित

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में हुई कई गायों की मौत पर कड़े तौर दिखते हुए देर रात मिर्जापुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अयोध्या के बीडीओ समेत दोनों जिलों के आठ अफसरों और कर्मचारियों को निर्लंबित कर दिया है। अयोध्या के जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मिर्जापुर के डीएम को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। साथ

ही, मिर्जापुर में गोवशों की मौत के मामले की जांच की जिम्मेदारी आयुक्त विन्ध्याचल को सौंपी गई है। योगी के सख्त रुख के बाद मिल्कीपुर (अयोध्या) के बीडीओ व उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, पलियामाफी के ग्राम पंचायत अधिकारी, अयोध्या नगर निगम के कांजी हाउस प्रभारी डॉ. उपेंद्र कुमार और डॉ. विजेंद्र कुमार को निर्लंबित कर दिया गया। वहीं, मिर्जापुर में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए के

सिंह, नगरपालिका के प्रभारी अधिशाषी अधिकारी मुकेश कुमार और नगर अभियंता रामजी उपाध्याय को भी निर्लंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज व मिजापुर के आयुक्त से गायों की मौत के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अयोध्या, हरदोई, रायबरेली, मिजापुर, प्रयागराज व सीतापुर



समेत कई जिलों में गायों की मौत पर सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यह कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि लापरवाह लोगों पर गोवध अधिनियम एवं पशु वक्रूरता निवारण के तहत कार्रवाई होगी।

## सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आसाराम की जमानत याचिका

### » यौन उत्पीड़न मामला

नईदिल्ली, 15 जुलाई (आरएनएस)। यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ट्रायल कोर्ट से जल्द इस मामले की सुनवाई

पूरी करने को भी कहा है। इससे पहले आसाराम ने ताउम्र जेल में सजा काटने के कोर्ट के फैसले पर रोके लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी। इस याचिका को भी हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2019 को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले आसाराम

ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए ज म I न त याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है और इसी मामले में वह जेल में बंद है। जिस मामले ने उन्हें सींखचों के पीछे पहुंचाया वो 20 अगस्त 2013 में

दिल्ली के कमला नेहरू बाजार थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट थी। इसमें एक नाबालिग ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 की रात को राजस्थान के जोधपुर स्थित मणार्इ आश्रम में आसाराम ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस आसाराम के खिलाफ सक्रिय हो गई, उन्होंने छिपकर पुलिस को झंसा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकर 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वो जेल में ही है। इसी मामले में उसे सजा भी सुनाई गई है।

## बिजली गिरने से 200 भेड़-बकरियों की मौत

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के गंदरबल जिले में बिजली गिरने से करीब 200 भेड़-बकरियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पोशकर वांगट क्षेत्र के चरगाहों में शनिवार शाम को भेड़ और बकरियों के बड़े झुंड पर बिजली गिरी। अधिकारियों ने कहा, बिजली



गिरने से 200 के करीब भेड़-बकरियों की मौत हो गई। सौभाग्य से, हादसे में किसी भी इंसान के मारे जाने की खबर नहीं है क्योंकि जिस स्थान पर बिजली गिरी चरवाहे वहां से कुछ दूरी पर बैठे हुए थे।

## मलबे से निकाली दो लाशें, 23 लोग बचाए- राहत कार्य जारी



सोलन (आरएनएस)। सोलन जिले के नाहन एक्सप्रेस वे पर कुम्हारहट्टी गांव के निकट आज एक चार मंजिला इमारत ढहने से मलबे में कई लोग दब गए। ये लोग बिल्डिंग में स्थित रेस्तरां में बैठे थे और इनमें से अधिकतर सेना के जवान थे। इस हादसे में एक जवान और एक महिला की मौत हो गई जबकि 23 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। घायलों को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लिखे जाने तक राहत कार्य जारी था। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम पंचकूला से हादसास्थल पर पहुंच गई है। चंद

घंटों में राहत कार्य मुकम्मल हो जाएगी और स्थिति स्थिर हो जाएगी। पुलिस, दमकल विभाग व प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार घटना के समय रेस्तरां में दो दर्जन सैनिकों समेत करीब 30 ग्राहक थे। इसके अलावा कर्मचारी और मकान मालिक के परिवार के सदस्य भी थे। चार मंजिला भवन अचानक भरभराकर गिर गया जिससे यह सभी लोग मलबे में दब गये। इमारत ढहने की संभावित वजह बारिश है। बचाव कार्य जारी है हालांकि मूसलाधार बारिश जारी होने की वजह से इसमें बाधा आ रही है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, सोलन के उपायुक्त के सी चमन समेत प्रशासनिक अमला व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंच चुकी है।

## यूपी, बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

### नईदिल्ली (आरएनएस)।

देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। असम के 33 में से 25 जिलों में बाढ़ की वजह से करीब 15 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार में 19 लोगों की मौत हो गई है जबकि 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने के साथ ही सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य चलाने को भी कहा गया है। बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार विकास आयुक्त सुभाष शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच, मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में कई जगहों पर

### » नेपाल में भी बाढ़ व भूस्खलन से भारी तबाही



तूफान की चेतावनी जारी की है। बाढ़ ने दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी और शिवहर, सुपौल, मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अररिया में दो, शिवहर और किशनगंज जिले में एक-एक मौत हुई है। सीतामढ़ी जिले में 11 लाख, जबकि अररिया में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमों को बचाव और राहत कार्यों में लगाया गया है। सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 50 हजार लोग प्रभावित हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर के औराई में एक दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों को ऊंची जगह पर शरण लेनी पड़ी है। यहां

बाड़पेट और धुबरी जिले में रविवार को चार लोगों की मौत हो गई। बाड़पेट में सबसे ज्यादा 7.35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों और ज्यादा बारिश की आशंका जताई है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में और इजाजा होगी। इससे हालात और बिगड़ेंगे। नेपाल में चार दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ व भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 65 पहुंच गई है, जिनमें 24 महिला और 36 पुरुष हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार 38 लोग घायल हुए हैं और 26 लापता हैं। घायलों का संबंधित जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। खबर के अनुसार, बाढ़ पूर्वानुमान सेकशन (एफएफएस) ने बताया कि मानसून सक्रिय है और देशभर में ज्यादातर स्थानों पर दो से तीन दिनों तक बारिश जारी रहेगी। मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बागमती, कमला, सप्तकोशी और उसकी सहायक नदी सूर्यकोशी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इस बीच, मौसम विशेषज्ञों ने इतने कम समय में भारी बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को बताया।